उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,

संख्या-05/2018/175/94-स्टा०नि०-2-2018-700(454)/2017

लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी, 2018

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेंटिंग नीति-2017 के प्रस्तर-3.1.1 में उपबन्धित, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा-उल्लिखित, प्रयोजनों के लिए उक्त अनूसूची के स्तम्भ-4 में यथा-प्रदर्शित लिखतों के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में यथा-प्रदर्शित सीमा तक, छूट प्रदान करते हैं।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावर लूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेन्टिंग नीति-2017	**प्रयोजन व अन्य विवरण**	**छूट की सीमा**	**लिखत की प्रकृति तथा अनुसूची एक-ख की अनुच्छेद संख्या**
1	**2**	**3**	**4**
3.1.1	राज्य या केन्द्र सरकार अथवा उनके उपक्रमों (निगम/परिषद/कम्पनी/संस्था) से क्रय की गयी या पट्टे पर ली गयी भूमि, शेड अथवा वासगृह स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे:-		अनुच्छेद 23(क) के अधीन हस्तांतरण तथा अनुच्छेद 35 के अधीन लीज
	(क) बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में स्थापित किये जाने वाली वस्त्र इकाईयॉ स्टाम्प शुल्क से छूट की हकदार होंगी।	100 प्रतिशत	
	जिला गौतमबुद्धनगर में स्थापित की जाने वाली वस्त्र इकाईयॉ स्टाम्प शुल्क से छूट की हकदार होंगी।	75 प्रतिशत	
	(ख) राज्य के किसी भाग में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास (यथा-एकीकृत परिवहन व वाणिज्यिक केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र, वेयर हाउस, जल	100 प्रतिशत	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	आपूर्ति सीवेज लाइन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्ट, वस्त्र उपयोग हेतु एफ्लुअन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु क्रय की गयी भूमि स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए पात्र होंगी। **(ग)** किसी निजी/संयुक्त क्षेत्र के एसपीवी द्वारा विकसित वस्त्र पार्क/सम्पदा में स्थापित किये जाने वाले प्रत्येक भू-खण्ड/इकाई के प्रथम क्रेता को स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी। **(घ)** राज्य के किसी भाग में स्थापित की जाने वाली रेशम उत्पादन चाकी, कोयला उत्पादन, धागाकरण इकाईयों को स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी। **(ड.)** स्टाम्प शुल्क में छूट की गणना उपर्युक्त सभी भूमि क्रय किये जाने के दिनांक को प्रचलित सर्किल दर पर आधारित होगी।	50 प्रतिशत 100 प्रतिशत	

2. प्रस्तर 3.1.2 और 3.1.3 के अधीन छूट निम्नानुसार होगी:-

(एक) यू0पी0एफ0सी0, पिकप या बैंकों द्वारा वित्तपोषित बंद और विक्रय योग्य इकाईयां सर्किल दर के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विक्रय मूल्य के अनुसार आगणित किये जाने वाले स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए हकदार होंगी किन्तु छूट की सीमा, पूर्व उल्लिखित प्रस्तर 3.1.1 के उपबंधों के अनुसार प्रदान की जायेगी।

(दो) यदि भूमि किसी मूल कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी को अन्तरित की जा रही हो जिसमें मूल कम्पनी न्यूनतम 90 प्रतिशत की अंशधारक हो, तो सहायक कम्पनी इस शर्त के साथ स्टाम्प शुल्क से छूट की हकदार होगी कि सहायक कम्पनी तीन वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन करेगी।

3. इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी उपलब्ध होगी, यदि सम्बन्धित जिले का जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण, उक्त नीति के अधीन किया जा रहा है।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये:-

"पूर्वांचल" में इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद तथा देवीपाटन राजस्व मण्डल, सम्मिलित होगें। "मध्यांचल" में लखनऊ एवं कानपुर राजस्व मण्डल सम्मिलित होगें। "बुन्देलखण्ड" में चित्रकूट धाम एवं झांसी राजस्व मण्डल सम्मिलित होगें। "पश्चिमांचल" में आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बरेली राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे।

आज्ञा से,
हिमांशु कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-05/2018/175/94-स्टा०नि०-2-2018-700(454)/17, दिनांक 12 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 12-02-2018 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(लालू)
संयुक्त सचिव।

संख्या-05/2018/175/94-स्टा०नि०-2-2018-700(454)/17, दिनांक 12 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
6. आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
12. विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
13. भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लालू)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.05/2018/175/94-S.R.-2-2018-700 (454)/2017, Dated, 12 February, 2018

Notification

Order

No.- 05/2018/175/94-S.R.-2-2018-700 (454)/2017

Lucknow Dated, 12 February, 2018

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty to the extent shown in column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instruments as shown in column-4 of the said Schedule for the purposes, provided in paragraph 3.1.1 of the Uttar Pradesh Handloom, Power-loom, Silk, Textile and Garmenting Policy-2017 of the state, as mentioned in Column-2 of the said Schedule.

SCHEDULE

Paragraph No. of the Uttar Pradesh Handloom, Power-loom, Silk, Textile and Garmenting Policy-2017	**Purpose and other Detail**	**Extent of remission**	**Nature of Instrument and Article number of Schedule-1-B**
1	2	3	4
3.1.1	Land, shed or industrial tenements purchased or taken on lease from the State or Central Government or their undertakings (Corporation /Council/Board/Company/Institution) will be eligible for exemption from stamp duty in the following manner:-		Conveyance, Under clause (a) of Article 23 and Lease under Article 35.
	a) Textile Units to be set up in Bundelkhand, Poorvanchal, Madhyanchal and Paschimanchal (except GB Nagar district) will be entitled for exemption from stamp duty.	100%	
	Textile units to be set up in GB Nagar district will be entitled to exemption from stamp duty.	75%	
	b) Land purchased in any part of the State for the development of infrastructure facilities (Such as Integrated Transport & Commercial Centre, Exhibition Centre, Warehouse,	100%	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	Water-Supply, Sewage lines, Sewage Treatment Plant, Solid Waste Management Plant, Effluent Treatment Plant for Textile industry) will be eligible for exemption from stamp duty. c) Exemption of stamp duty will be made available to the first buyer of every plot/unit to be set up in textile park/estate developed by a private/joint sector SPV. d) Stamp duty exemption will be available to Sericulture chaaki, koya production, threading units to be set up in any part of the State. e) Calculation of stamp duty exemption will be based on the prevailing circle rates as on the date of purchase of land for all of the above.	50% 100%	

2- The remission under Para 3.1.2 and 3.1.3 shall be as follows:-

(i) Closed and now saleable units, financed by UPFC, PICUP or Banks will be entitled for exemption from stamp duty to be calculated as per selling price approved by the Competent Authority, instead of circle rate, but the extent of exemption will be given as per the provisions of aforementioned Para 3.1.1

(ii) If the land is being transferred by the parent company to its subsidiary company wherein the parent company has a minimum shareholding of 90%; then subsidiary company will be entitled for stamp duty exemption with a condition that subsidiary company will come into commercial production within 3 years.

3- The remit under this notification shall be available if the District Magistrate or the General Manager, District Industries Centre of the concerned district shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the transfer is being executed under the said policy.

Explanation- For the purpose of this notification :-

" Poorvanchal " shall include the revenue divisions of Allahabad, Varanasi, Mirzapur, Azamgarh, Basti, Gorakhpur, Faizabad and Devipatan. "Madhyanchal" shall include the revenue divisions of Lucknow and Kanpur. "Bundelkhand" shall include the revenue divisions of Chitrakoot Dham and Jhansi. "Paschimanchal" shall include the revenue divisions of Agra, Aligarh, Moradabad, Meerut, Saharanpur and Bareilly.

By Order
Himanshu Kumar
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।